न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डा.नीलम मीणा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

GCMS NO.:– 2021/94
दावा संख्या:– 55/2021
निर्णय दिनांक:–14.05.2022

1. धीरज सिंह दत्तक पुत्र श्री सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ललवाड़ी तह. निवाई जिला टोंक (राज0)

–वादी

उनवान

1. रूपकंवर बेवा श्री सवाई सिंह श्री सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ललवाड़ी तह. निवाई जिला टोंक (राज0)
2. तहसीलदार निवाई जिला टोंक (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित:–1. श्री रामबाबू शर्मा, अधिवक्ता वादी।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि वादी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खाता संख्या 511 ख.नं. 342 रकबा 05 बिस्वा, ख.न. 347 रकबा 03–13 बीघा, ख.न. 373 रकबा 18 बिस्वा, ख.न. 374 रकबा 01–01 बीघा, ख.न 375 रकबा 12 बिस्वा, ख.न. 376 रकबा 02–01 बीघा, ख.न. 377 रकबा 02 बिस्वा, ख.न. 378 रकबा 01 बीघा, ख.न. 379 रकबा 03 बीघा, ख.न. 380 रकबा 03 बिस्वा, ख.न. 381 रकबा 02 बिस्वा, ख.न 382 रकबा 12 बिस्वा, ख.न 383 रकबा 01–02 बीघा, ख.स. 384 रकबा 01–06 बीघा, ख.न. 385 रकबा 18 बिस्वा, ख.न. 705 रकबा 22–17 बीघा, ख.न. 706 रकबा 12–16 बीघा, ख.न. 716 रकबा 04 बीघा, ख.न. 717 रकबा 04 बिस्वा, ख.न. 718 रकबा 04–01 बीघा, ख.न. 720 रकबा 03–10 बीघा, ख.न. 722 रकबा 01–01 बीघा कुल किता 22 कुल रकबा 65–04 बीघा व खाता संख्या 510 ख.न. 686 रकबा 03–19 बीघा वाके ग्राम ललवाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक में दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का शामलाती रूप से 1/4 हक व हिस्सा है। वादी के दत्तक पिता स्व. श्री सवाई सिंह व प्रतिवादी संख्या 01 के कोई जीवित संतान नहीं थी। इस कारण स्व. सवाई सिंह ने अपने जीवनकाल में ही संपूर्ण रिश्तेदारों के समक्ष वादी को नाबालिग अवस्था में (लगभग 04 वर्ष की उम्र में) ही गोद ले लिया।

वादी द्वारा दत्तक पुत्र की हैसियत से संपूर्ण कियाकर्म, कर्मकाण्ड व हरिद्वार में पिण्डदान किया गया। इस कारण वादी का नाम समस्त राजस्व रिकार्ड मे बतौर दत्तक पिता सवाई सिंह दर्ज कराया एवं राशनकार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्ट में बतौर पुत्र दर्ज है। इस कारण वादी स्व. सवाई सिंह व प्रतिवादी संख्या 01 का वैध दत्तक पुत्र है। तत्तपश्चात दिनांक 21.11.2005 को रजिस्टर गोदपत्र तहरीर तकमील कर रजिस्टर्ड है। इस कारण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना विधि संगत व न्याय संगत है।

प्रकरण में उभयपक्षों ने मय अधिवक्ता एक राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत करके निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 मे राजीनामा हो गया है तथा वे अपने प्रकरण का निस्तारण जरिये राजीनामा करवाना चाहते है। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे 1/4 हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी को 21.11.2005 को रूबरू गवाहान के समक्ष गोद लिया था। जिसका गोद पत्र निवाई उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन रसीद सं. 28833 दिनांक 21.11.2005 पृष्ठ संख्या 64 पुस्तक सं. 4 जिल्द सं.11 पृष्ठ सं. 509 से 575 पर रजिस्टर्ड है। इस प्रकार वादी प्रतिवादी संख्या 01 का विधिवत दत्तक पुत्र होने के कारण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज 1/4 भूमि मे से आधे अर्थात 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने का हकदार है। अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज 1/4 भूमि में बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/22

(डॉ0 नीलम मीणा)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
निवाई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डॉ. नीलम मीणा, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्याः– 55/2021

निर्णय दिनांकः–14.05.2022

उनवान

धीरज सिंह बनाम रूपकंवर वगै0

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू डॉ. नीलम मीणा ब हाजरी श्री रामबाबू शर्मा वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम ललवाडी तह0 निवाई की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 510, 511 के वाद में प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज हिस्से में बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 05 सन् 2022 को जारी की गई।

14/5/22

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner